न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 18/2020 पीठासीन अधिकारी – अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

अनवान

1 कैलाश पिता मदन खाती उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 छोटू पिता मदन खाती उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 महावीर पिता मदन खाती उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 प्रेमदेवी पत्नि मिश्री खाती उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 सत्यनारायण पिता गोकल खाती उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 हेमराज पिता घीसा खाती उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
7 बनवारी पिता घीसा खाती उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
8 सन्तोक पत्नि घीसा खाती उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
9 बीमा पुत्री घीसा खाती उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
10 सीमा पुत्री घीसा खाती उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
11 निरमा पुत्री घीसा खाती उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

बनाम ————————(प्रार्थीगण)

1 घीसा पिता भूरा जाट उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 मगना पिता भूरा जाट उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 धन्ना पिता भूरा जाट उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 सुखदेव पुत्र धन्ना जाट उम्र वयस्क निवासी हंसपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 सुखदेव पिता बालू जाट उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 भैरू पिता नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
7 चन्द्र पिता नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
8 सुशीला पत्नि हंसराज जाट उम्र वयस्क निवासी हुकुमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
9 छोटूलाल पिता कालू जाट उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
10 बैनाथ पिता कालू जाट उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

————————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री सुनिल कुमार शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय दिनांक – 10.03.2021

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 25.02.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल हुकुमपुरा भू. अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 155 के **आ.न. 570, 573, 573/1055, 574, 575, 689/1064, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696/1063 किता 13 रकबा 2.92 हैक्टयर भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 26.02.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य [illegible] प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.17 15:14:33 IST
Reason: Self Attested

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल हुकुमपुरा भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 155 के **आ.न. 570, 573, 573/1055, 574, 575, 689/1064, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696/1063 किता 13 रकबा 2.92 हैक्टयर** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की

Scanned with CamScanner

पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.17 15:14:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner